


1/10

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 564335

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

17 NOV 2011
 रामेश्वर, देहरादून

श.प. कथरिया निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधानसभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं श.प. कथरिया पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मोहन लाल आयु

40 वर्ष जो 533 राजापुर जखिया जनपद देहरादून

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ :-

मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं कागरी नदी
- (ii) पुलिस थाना (थाने) कागरी नदी जिला या जिले समाप्त राज्य
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है कागरी नदी
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई कागरी नदी

NOTARIAL
 REGD. NO. 82/8786/U.P.

श.प. कथरिया

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गये थे.....जाना नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैंजाना नहीं


2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएंजाना नहीं
- (ii) न्यायालय जिसने दंडित किया हैजाना नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने).....जाना नहीं जिला (जिले).....जाना नहीं राज्य.....जाना नहीं
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया हैजाना नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थेजाना नहीं
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....जाना नहीं

अजय कपूर
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थान : पुलिया
तारीख : 8-1-2012



सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

अजय कपूर स्थान पर आज तारीख 8-1-2012 को सत्यापित किया।

Signed Sworn and verified
Before me by Sri. Ajay Kathoria
on Dt. 8/1/2012 A.M./P.M.
who is Identified by Sr. A.S. 8/1/2012

अजय कपूर
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Jeet Singh Sajwan

टिप्पणी : इस प्रारूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को खाली नहीं हैं, काट दिया जाए।